ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0026612

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer* *श्री मोहन लालवानी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री, मप्रमक्षेविविकलि, भोपाल.*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
10.07.14	आवेदक/उपभोक्ता स्वयं उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री वलेचा, अधिवक्ता उपस्थित । श्री वलेचा ने लिखित बहस प्रस्तुत की, प्रति आवेदक को दी गई । शिकायत प्रकरण क्रमांक एल0026612 मोहन लालवानी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में विद्युत लोकपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.13 के द्वारा उपभोक्ता की मूल शिकायत पर विचार करने के लिए शिकायत को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल को प्रत्यावर्तित किया गया था । तत्पश्चात् फोरम ने दिनांक 16.05.13 को इस आशय का आदेश पारित किया है कि विषय का संबंध उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का है, जिसका अधिकार क्षेत्र उसे नहीं है । दिनांक 28.02.2013 को पारित आदेश में फोरम को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत के संबंध में वह उपभोक्ता को निर्देशित करें कि वह शिकायत के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को पक्षकार के रूप में संयोजित करें और उपभोक्ता द्वारा ऐसा किए जाने के पश्चात् मामलें की पुनः सुनवाई की जाए । इस मामलें में फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि विद्युत लोकपाल के उक्त आदेश का अनुसरण फोरम द्वारा नहीं किया गया है अर्थात् अनुज्ञप्तिधारी को पक्षकार के रूप में संयोजित किए बिना ही अन्तिम आदेश किया गया है जो प्रथमदृष्टि ही विधि विरूद्ध है । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन न किए जाने पर भी विद्युत लोकपाल को फोरम के विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 (यथा संशोधित विनियम 2009) की कण्डिका 5.3 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और नियम विरूद्ध कार्यवाही किया जाना पाए जाने पर आयोग संबंधित फोरम को नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्देश दे सकता है । अतः उपभोक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें । तद्नुसार उपभोक्ता का आवेदन निरस्त किया जाता है । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	